रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-20032023-244497
CG-DL-E-20032023-244497

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 65]	नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 20, 2023/फाल्गुन 29, 1944
No. 65]	NEW DELHI, MONDAY, MARCH 20, 2023/PHALGUNA 29, 1944

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 20 मार्च, 2023

(सं. 61/2015–2020)

विषयः न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना भूटान से संगमरमर और ताजी (हरो) सुपारी के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र की प्रक्रिया।

फा. सं. 01/89/180/09/एएम–18/पी.सी–2(क)/ई–6793.—विदेश व्यापार नीति (2015–2020) के पैरा 1. 03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक, विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 15.03.2023 की अधिसूचना सं. 60/2015–20 द्वारा यथा अधिसूचित न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) के बिना भूटान से एचएस कोड 2515 और 6802 के तहत संगमरमर के 10,000 मीट्रिक टन के आयात हेतु पंजीकरण प्रमाणपत्र (आरसी) के लिए आवेदन करने की प्रक्रिया निर्धारित करते है। इसके अलावा, भूटान से एमआईपी शर्त के बिना आईटीसी (एचएस) 0802 80 10 के तहत ताजी (हरी) सुपारी के आयात के लिए दिनांक 28.09.2022 की सार्वजनिक सूचना सं. 25/2015–20 द्वारा डीजीएफटी द्वारा से पहले से अधिसूचित प्रक्रिया को भी निम्नानुसार स”ोधित किया जाता हैः

i. वित्तीय वर्ष 2023–24 से आगे, भूटान से एमआईपी के बिना एचएस कोड 0802 80 10 के तहत ताजी (हरी) सुपारी की कुल 17000 मीट्रिक टन और एचएस कोड 2515 और 6802 के तहत संगमरमर के 10,000 मीट्रिक टन की मात्रा का आयात किया जा सकता है।

ii. भूटान से एमआईपी के बिना इस तरह के किसी भी आयात को करने से पहले, भारतीय आयातक डीजीएफटी वेबसाइट (https://dgft.gov.in) पर होम पेज → सेवाएं → आयात प्रबंधन प्रणाली → आयात के लिए पंजीकरण प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करें पर पंजीकरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करेंगे।

iii. पहले प्राप्त की गई किसी भी आरसी के तहत प्रभावित आयात का विवरण आवेदन के भाग के रूप में प्रदान किया जाएगा।

iv. किसी एकल आरसी के लिए अधिकतम मात्रा सीमा प्राप्त आवेदनों की विधिवत जांच के बाद इस निदेशालय द्वारा निर्धारित की जाएगी।

v. आरसी वित्तीय वर्ष के अंत तक वैध रहेगा।

vi. डीजीएफटी (मुख्यालय) में आरसी के उपयोग की तिमाही/अर्धवार्षिक समीक्षा की जाएगी। आरसी धारकों को वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही (जून/सितंबर/दिसंबर/मार्च) के अंत तक अभ्यर्पण के लिए अपने आयात और मात्रा का विवरण, यदि कोई हो, प्रदान करने का निर्देश दिया जाता है। इस तरह के विवरण ईमेलः policy2-dgft@gov.in और ddg1import-dgft@gov.in के माध्यम से प्रस्तुत किए जाने चाहिए।

vii. डीजीएफटी के पास किसी भी समय, जैसा उचित समझा जाए, तौर–तरीके/आवंटन प्रक्रिया में कोई भी बदलाव करने का अधिकार सुरक्षित है।

2. वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए, आरसी हेतु ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 10 अप्रैल, 2023 होगी। तथापि, अगले वित्तीय वर्ष (2024–25) और बाद के वर्षों में वार्षिक आवंटन के लिए आवेदन प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि पिछले वित्तीय वर्ष की 28 फरवरी होगी।

3. इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

भूटान से न्यूनतम आयात मूल्य (एमआईपी) शर्त के बिना एचएस कोड 2515 अथवा 6802 के तहत संगमरमर और आईटीसी (एचएस) 08028010 के तहत ताजी (हरी) सुपारी के आयात के लिए पंजीकरण प्रमाणपत्र आवेदन करने/जारी करने की प्रक्रिया विनिर्दिष्ट की गई है।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

Public Notice

New Delhi, the 20th March, 2023

(No. 61/2015-20)

Subject: Procedure for Registration Certificate for import of marble and Fresh (green) Areca Nut from Bhutan without Minimum Import Price condition – reg.

F. No. 01/89/180/09/AM-18/PC-2A/E-6793.—In exercise of powers conferred under paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (2015-2020), the Director General of Foreign Trade hereby lays down the procedure for application for Registration Certificate (RC) for import of 10000 MT of marble under HS codes 2515 and 6802 from Bhutan without Minimum Import Price (MIP) as notified, vide Notification No. 60/2015-20 dated 15.03.2023. Further, the procedure earlier notified by the DGFT, vide Public Notice No. 25/2015-20 dated 28.09.2022, for import of Fresh (green) Areca Nut under ITC(HS) 0802 80 10 without MIP condition from Bhutan is also amended as follows: -

i. For the financial year 2023-24 onwards, a total of 17,000 MTs of Fresh (Green) Areca Nut under HS Code 08028010 and 10,000 MTs of Marble under HS Codes 2515 or 6802 may be imported without MIP from Bhutan;

ii. Before effecting any such imports without MIP from Bhutan, the Indian importer shall apply for a Registration Certificate on the *DGFT* Website (https://dgft.gov.in) by navigating to *Home page →Services → Import Management System → Apply for Registration Certificate for Imports*

iii. Details of imports affected against any RC availed earlier shall be provided as part of the application;

iv. The maximum quantity cap for any single RC shall be fixed by this Directorate after due examination of the applications received;

v. RC shall be valid till the end of the financial year;

vi. Quarterly/half yearly review of the utilisaiton of RCs shall be undertaken in DGFT(Hqrs). RC holders are directed to provide statement of their imports and quantities for surrender, if any, by the end of each Quarter

of the Financial Year (June/September/December/March). Such details should be submitted through email at : policy2-dgft@gov.in and ddg1import-dgft@gov.in

vii. DGFT reserves the right to make any changes in the modalities/allocation process at any point of time, as deemed fit.

2. For the financial year 2023-24, the last date of filing of online application for RCs shall be 10th April, 2023. However, the last date for filing applications for annual allocation in the next financial year (2024-25) and in subsequent years shall be 28th February of the previous financial year.

3. **Effect of this Public Notice**:

Procedure for application/issuance of Registration Certificate for import of Marble under HS Codes 2515 or 6802 and Fresh (green) Areca Nut under ITC(HS) 08028010 without Minimum Import Price (MIP) condition from Bhutan have been specified.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade & Ex- officio Addl. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA